### <u>न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी</u> चन्देरी जिला—अशोकनगर म०प्र0

दांडिक प्रकरण क. 400 / 15 संस्थित दिनांक— 27.11.2015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र पिपरई जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

#### विरुद्ध

- 1. हीरालाल पुत्र प्रभुलाल अहिरवार उम्र 47 साल
- 2. सद्भान पुत्र गंगाराम अहिरवार उम्र 29 साल
- 3. लालाराम पुत्र प्रभुलाल अहिरवार उम्र 46 साल
- 4. तिलकराम पुत्र लालराम अहिरवार उम्र 29 साल
- 5. भगवान सिंह पुत्र नाथूराम अहिरवार उम्र 35 साल निवासीगण ग्राम कैथन जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

## —: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 16.08.2017 को घोषित)</u>

01—अभियुक्तगण के विरूद्ध भा०द०वि० की धारा 294, 324 अथवा 324 / 149 दोशीर्ष, 323 अथवा 323 / 149 दोशीर्ष, एवं 506 भाग—दो के तहत् आरोप है कि उन्होंने दिनांक 31.08.2015 को समय 8 बजे स्थित ग्राम कैथन स्थित फरियादी के घर के सामने लोक स्थल पर अश्लील शब्द उच्चारित कर फरियादी तथा अन्य को क्षोभ कारित किया तथा विधि विरूद्ध जमाव का सदस्य रहते हुये जिसका सामान्य उददेश्य फरियादी भंवरलाल सहित संजीव, पप्पू व अनिल को उपहित कारित करना था, उक्त उददेश्य के प्रवर्तन में भवरलाल को काटने के उपकरण लुंहागी से एवं संजीव को आक्रमक आयुद्ध के रूप में प्रयोग की गयी लोहे की छड से व आहत पप्पू व अनिल के साथ लाठियों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की एवं उन्हें जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्राष कारित किया।

- 02-अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है फरियादी की देलान में भगवान सिंह का लडका इंद्रकुमार बैठा था, तो फरियादी चचेरे भाई पप्पू ने उस से कहा तू यहां से जा ताश खिलाता है इसी बात पर दिनांक 31.08.2015 को शाम 8 बजे लालराम अपने हाथो में लुहांगी लिये तिलक राज लाठी लिये हीरालाल लाठी लिये फरियादी के घर के सामने आये और लालाराम ने भवरलाल के सिर में लुहांगी मारी दाई तरफ लगी चोट होकर खून निकल आया, हीरालाल ने भवरलाल के दाई के तरफ जांघ में लाठी मारी जिससे मुंदी चोट आयी, भवन लाल चिल्लाया तो उसे बचाने अनिल, संजीव और पप्पू आयें तो तिलकराज ने अनिल को लाठी मारी सिर में बाये तरफ लगी, खून निकल आया, एक लाठी दाहिनी पैर की पीडरी में मारी मुंदी चोट आयी होरालाल ने पप्पू के सिर में लाठी मारी बाये तरफ लगी खून निकल आया एक लाठी दाहिने पैर के घूटने पर मारी मुंदी चोट आयी फिर सदभान छड लिये भगवान सिंह लिये सभी लोगों को बुरी बुरी गालियां देते हुये बोले की मादरचोदों हत्यारों और सदभान ने संजीव के लाठी सिर मे लाठी में छड मारी दाये तरफ लगी, खून निकल आया, भवनान सिंह ने सिर में लाठी मारी उपर मुंदी चोट आई। भवरलाल व अन्य को चिन्टा और जगभान ने बचाया। अभियुक्तगण कह रहे थे कि आज तो बच गये किसी दिन एक दो खत्म कर दूंगा। फरियादी भवंरलाल द्वारा पुलिस थाना पिपरई में अभियुक्तगण के विरूद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस थाना पिपरई के अपराध कमांक 173/15 अंतर्गत धारा— 323, 294, 506, 34 भा0द0वि0 के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतू न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 03—प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक 16.08.2017 को फरियादी भंवरलाल व आहतगण अनिल, संजीव, पप्पू द्वारा अभियुक्तगण से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) व 320 (8) दप्रस के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुये अभियुक्तगण को भादिव की धारा 294, 323 दो शीर्ष, 323/149 दो शीर्ष एवं 506 भाग—दो के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। अभियुक्तगण पर आरोपित भा0द0वि0 की धारा 324 अथवा 324/149 दोशीर्ष शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्तगण पर विचारण किया गया।

04—अभियुक्तगण को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

05-प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

- 1. क्या अभियक्तगण ने दिनांक 31.08.2015 को समय 8 बजे स्थित ग्राम कैथन स्थित फरियादी के घर के सामने विधि विरूद्ध जमाव का सदस्य रहते हुये जिसका सामान्य उददेश्य फरियादी भंवरलाल सहित संजीव को उपहित कारित करना था, उक्त उददेश्य के प्रवर्तन में भवरलाल को काटने के उपकरण लुंहागी से एवं संजीव को आक्रमक आयुद्ध के रूप में प्रयोग की गयी लोहे की छड से स्वेच्छया उपहित कारित की ?
- 2. दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

# -:: सकारण निष्कर्ष ::-

06— प्रकरण में हुये राजीनामें एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य को देखते हुये अभियोजन की ओर से फरियादी भवरलाल (अ0सा0—1) सहित घटना में आहत पणू (अ0सा0—12) संजीव (अ0सा0—3) अनिल (अ0सा0—4) के कथन न्यायालय में कराये गये। फरियादी भवरलाल (अ0सा0—1) अपने न्यायालीन कथनों में कहना है उसकी आरोपीगण के परिवार से पूर्व की चुनावी रंजिश थी। फरियादी के अनुसार घटना के एक दिन पहले उसके भाई पणू का अभियुक्त भगवान सिंह ने कहा सुनी हो गयी थी जिसको लेकर घटना दिनांक को रात्रि 9—10 बजे जब वह अपने घर पर खाना खा रहा था, तो अभियुक्त भगवान सिंह सहित अन्य अभियुक्तगण उसके घर के बाहर आकर मां बहन की गालियां देकर उसके भाई पण्यू (अ0सा0—2) को बुला रहे थें। भवरलाल (अ0सा0—1) के अनुसार जब उसने बाहर निकल कर यह कहा कि पण्यू यहां नही हैं, तो आरोपीगण ने उसे भी मां बहन की गालिया दी थी और हल्ला सुनकर पण्यू असा 2 वहां आया तो आरोपीगण ने पण्यू को भी मां बहन की गालिया दी और

### लेख लेने की धमकी दी थी।

- 07— पप्पू (अ०सा0—2) ने अपने न्यायालीन कथनों में भंवरलाल (अ०सा0—1) के कथनों की पुष्टि करते हुये कथन दिये है कि चुनावी रंजिश के चलते घटना से एक दिन पहले उसका भगवान सिंह से कहा सुनी हो गयी थीं। इस साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को रात्रि 9—10 बजे जब अपने घर पर था तो चिल्ला चोट की आवाज सुनकर उसने बाहर निकलकर देखा तो आरोपीगण फरियादी भवंरलाल (अ०सा0—1) के साथ गाली गलौच कर रहे थे और जब उसने जाकर गाली देने से मना किया, तो आरोपीगण ने उसके साथ गाली गलौच की और उसे देख लेने की धमकी दी। फरियादी भंवरलाल (अ०सा0—1) व पप्पू (अ०सा0—2) के अनुसार घटना के समय पूरा गाव इकटठा हो गया था जिसके कारण अभियुक्तगण वहां से चले गये थे।
- 08— फरियादी भवरलाल (अ०सा०—1) के अनुसार अभियुक्तगण ने गाली गलौच के अलावा अन्य कोई घटना कारित नहीं की। वहीं पप्पू (अ०सा०—2) भी फरियादी भवरलाल (अ०सा०—1) के कथनों की पुष्टि करते हुये घटना में केवल मुहवाद होना बताता है। यह उल्लेखनीय है कि फरियादी भवरलाल (अ०सा०—1) व पप्पू (अ०सा०—2) दोनों ही घटना में आहत है परन्तु इन दोनों ही साक्षियों ने अपने मुख्यपरीक्षण में दिये गये कथनों में अभियोजन के समर्थन में इस संबंध में कोई कथन नहीं दिये कि घटना में अभियुक्तगण ने मारपीट की थी और उक्त मारपीट में अभियुक्त लालाराम ने लुहांगी से भवरलाल (अ०सा०—1) के साथ व सदभान ने छड से संजीव (अ०सा०—3) के साथ मारपीट कर उन्हें उपहित कारित की थीं।
- 09— फरियादी भवरलाल (अ०सा०—1) व पप्पू (अ०सा०—2) ने इस संबंध में तो अभियोजन का समर्थन किया है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक को रात्रि 8—9 बजे उनके घर पर आकर गाली गलौच की थीं जिससे दोनों पक्षो के मध्य विवाद होना तो प्रमाणित है परन्तु उक्त विवाद में अभियुक्तगण ने मारपीट कर उन्हें उपहित कारित करने की घटना कारित कीं, इस संबंध में इन दोनों ही साक्षियों के द्वारा अभियोजन के समर्थन में कोई कथन ने देते हुये अभियोजन ६ । उना केविरूद्ध केवल गाली गलौच व मुंहवाद की घटना होना बताया है। अभियोजन कहानी के अनुसार घटना के एक दिन पहले भगवान सिंह के लड़के इंद्रकुमार से पप्पू (अ०सा०—2) का विवाद हुआ था, परन्तु इस संबंध में इन दोनों ही साक्षियों के कथन अभियोजन कहानी के विपरीत है जिसमें यह दोनों ही

साक्षी भगवान सिंह से चुनावी रंजिश को लेकर पप्पू का विवाद होना बताते हैं।

- 10— अभियोजन की ओर से घटना में अन्य आहत संजीव (अ०सा0—3) अनिल (अ०सा0—4) के कथन न्यायालय में कराये गये हैं, इन साक्षियों की घटना स्थल पर उपस्थिति के संबंध में फरियादी भवरलाल (अ०सा0—1) व पप्पू (अ०सा0—2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में जहां कोई कथन नहीं दिये वहीं यह साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में इन दोनों की घटना स्थल पर उपस्थित एवं अभियुक्तगण के द्वारा उनके साथ कारित मारपीट की घटना से ही इन्कार करते हैं। संजीव (अ०सा0—3) अनिल (अ०सा0—4) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन कहानी के विरूद्ध घटना की जानकारी होने से ही इन्कार किया है तथा अपने सामने कोई घटना घटित न होना बताया है जबिक अभियोजन के अनुसार यह दोनों ही साक्षी घटना में आहत हैं।
- 11— अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य से घटना स्थल पर आहतगण संजीव (अ०सा0—3) अनिल (अ०सा0—4) की उपस्थिति प्रमाणित नही होती हैं, जिससे अभियुक्तगण के द्वारा उनके साथ मारपीट कर उन्हें उपहित कारित करने की घटना प्रमाणित होने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। फिरयादी भवरलाल (अ०सा0—1) व पप्पू (अ०सा0—2) दोनों ही घटना में केवल गाली—गलौच होना बताते है तथा मारपीट की घटना से इन्कार करते हैं। फिरयादी सहित अभियोजन की ओर से परीक्षण कराये गये किसी भी साक्षी ने आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन घटना के समर्थन में कोई कथन न्यायालय में नही दिये। अभियोजन का समर्थन न करने के कारण फिरयादी सहित सभी साक्षियों को अभियोजन के द्वारा पक्षविरोधी कर उनका विस्तृत परीक्षण किया गया, परन्तु उक्त परीक्षण से भी अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नही होता है।
- 12— भवरलाल (अ०सा0—1) सिहत अन्य साक्षियों के कथनों से जहां संजीव (अ०सा0—3) अनिल (अ०सा0—4) की घटना स्थल पर उपस्थिति ही प्रमाणित नही होती है वहीं स्वयं भवरलाल (अ०सा0—1) जो कि घटना में स्वयं फरियादी हैं, इस बात पर अभियोजन का लेषमात्र भी समर्थन नही करता है कि अभियुक्तगण ने उसके साथ मारपीट की थी जिसके अभियुक्त लालाराम ने लुहागी से उसे सिर में एवं अभियुक्त सदभान ने लोहे की छड से संजीव के सिर में उपहित कारित की थीं। पप्पू (अ०सा0—2) भी अपने कथनों में इस बात का खण्डन करता है कि अभियुक्त लालाराम ने लुहागी से उसे सिर में एवं अभियुक्त लालाराम ने लुहागी से उसे सिर में एवं अभियुक्त सदभान ने लोहे की छड से संजीव के सिर में कर उपहित कारित

की थीं। स्वयं संजीव (अ०सा0—3) घटना की जानकारी होने एवं अपने सामने ६ । टना घटित होने से ही इन्कार करता है। फरियादी भवरलाल (अ०सा0—1) सिहत सभी साक्षी इस संबंध में ऐसे कोई भी कथन पुलिस को न देना बताते हैं।

- 13— फरियादी भवरलाल (अ०सा०—1) जहां मारपीट की घटना से इन्कार करता है वही इस साक्षी ने स्वयं अपने कथनों में यह भी स्पष्ट किया है कि लालाराम ने उसके सिर पर लुंहागी से एवं सदभान ने संजीव के सिर पर लोहे की छड़ मारी थी तथा अन्य अभियुक्तगण ने भी घटना में उसके साथ व अन्य आहतगण के साथ उपहित कारित की, ऐसी कोई रिपोर्ट उसने पुलिस को लेख नहीं कराई और न ही उसने पुलिस को ऐसा कोई बयान दिया था। भवरलाल (अ०सा०—1) जो घटना में मुख्य आहत होकर फरियादी हैं, अपने साथ हुयी मारपीट की घटना से इन्कार करता हैं वही संजीव (अ०सा०—3) जिसकों उपहित कारित करने का आरोप अभियुक्तगण पर हैं, घटना की जानकारी होने से ही इन्कार करता है।
- 14— अतः फरियादी सहित अभियोजन साक्षियों के द्वारा अभियोजन के समर्थन में आरोपित अपराध के संबंध में कोई कथन न देने से एवं फरियादी भवरलाल (अ०सा0—1) व पप्पू (अ०सा0—2) के द्वारा केवल मुंहवाद की घटना होना बताने के कारण अभिलेख पर इस आशय की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि जिससे यह साबित हो सके की अभियुक्तगण का भवरलाल व संजीव को उपहित करने का सामान्य उददेश्य था जिसके अग्रसरण में अभियुक्त लालाराम ने .लुहागी से भवरलाल (अ०सा0—1) के सिर में एवं अभियुक्त सदभान ने लोहे की छड से संजीव के सिर में प्रहार कर उन्हें स्वेच्छया उपहित कारित की थी।
- 15—फलस्वरूप साक्ष्य के अभाव में एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 31.08.2015 को समय 8 बजे स्थित ग्राम कैथन स्थित फरियादी के घर के सामने विधि विरूद्ध जमाव का सदस्य रहते हुये उक्त अवैध समूह के सामान्य उददेश्य के प्रवर्तन में भवरलाल को काटने के उपकरण लुंहागी से एवं संजीव को आक्रमक आयुद्ध के रूप में प्रयोग की गयी लोहे की छड़ से स्वेच्छया उपहित कारित की।

- 16—फलतः अभियुक्तगण लालाराम पुत्र प्रमुलाल अहिरवार व सदभान पुत्र गंगाराम अहिरवार पर भादवि की धारा 324 दो शीर्ष एवं अभियुक्तगण हीरालाल पुत्र प्रमुलाल अहिरवार, तिलकराम पुत्र लालराम अहिरवार, भगवान सिंह पुत्र नाथूराम अहिरवार के विरूद्ध भादवि की धारा 324 / 149 दो शीर्ष के आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्तगण लालाराम पुत्र प्रमुलाल अहिरवार व सदमान पुत्र गंगाराम अहिरवार को भादवि की धारा 324 दो शीर्ष के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है एवं अभियुक्तगण हीरालाल पुत्र प्रमुलाल अहिरवार, तिलकराम पुत्र लालराम अहिरवार, भगवान सिंह पुत्र नाथूराम अहिरवार के विरूद्ध भादवि की धारा 324 / 149 दो शीर्ष के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 17— अभियुक्तगण की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे। धारा 428 द0प्र0सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्तगण के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)